न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 218 / 2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 सुलोचना पत्नी महादेवाराम जाति जाट निवासी नवलड़ी तह. नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

बनाम

1 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 बी.एस.एन.एल. मोबाईल फोन टॉवर नवलड़ी जरिये अधिकृत प्रतिनिधि नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 गौरीशंकर पुत्र महादेवाराम।
4 निर्मला पुत्री महादेवाराम।
5 मन्जू पुत्री महादेवाराम।
6 संजय पुत्र महादेवाराम।
7 कमलेश पुत्र महादेवाराम समस्त जाति जाट निवासीगण नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट अपील
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी
राजस्थान सरकार आदि बनाम महादेवाराम प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 12 / 12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री अनूप गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 12/2012 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार नवलगढ़ ने विचारण न्यायालय के समक्ष भूमि खसरा नम्बर 1290 वाके ग्राम नवलड़ी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 प्रस्तुत कर कथन किया है कि खातेदार ने बिना अनुमती कृषि भूमि को वाणिज्यक उपयोग में लिया है। अत भूमि कब्जे राज लेने के आदेश प्रदान करें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि को सिवायचक घोषित किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के विरूद्व बिना सुनवाई निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्व है मृतक खातेदार के वारिसान की और से यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में डिले कन्डोन कर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। यह अपील अप्रार्थी संख्या 1 महादेवाराम की मृत्यु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पर उनके विधिक वारिसान की और से प्रस्तुत की गई है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है। प्रकरण में अपील स्तर पर प्रस्तुत अप्रार्थी संख्या 1 महादेवाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र से जाहिर है कि महादेवाराम की मृत्यु 17.03.2015 को हो गई थी। विचाराधीन आदेश महादेवाराम के विरूद्व दिनांक 12.06.2015 को पारित किया गया है। स्पष्ट है कि विचाराधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित हुआ है। जो प्रथम दृष्टया अपास्त करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि महादेवाराम के विधिक वारिसान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.12.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर